न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद संख्या– M–33/2017, धारा–107 द०प्र०सं०

आशा राम महतो.....प्रथम पक्ष।

बनाम

माधव महतो वगैरह.....द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश	
10/11/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु के अप्राथमिकी संख्या–04/17 दिनांक–28/03/17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक–दूसरे पर शांतिभंग करने का आरोप लगाया है। यह विवाद घर के आँगन से नाली का पानी नहीं निकलने देने के संबंध में हुए झगड़े के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही:– गवाह संख्या–01 शैलेश महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि पानी के नाला को लेकर उभय पक्ष में झगड़ा हुआ है। झगड़ा, 22 तारीख के फागुन महीना में 2017 को हुआ था। झगड़ा 10 बजे दिन में हुआ था। नाला प्रथम पक्ष के घर से उत्तर की ओर है, घर का दरवाजा पश्चिम एवं उत्तर तरफ है। प्रथम पक्ष नाला काटने जाता है तो उभय पक्ष में झगड़ा होता है। वर्त्तमान में कब झगड़ा हुआ , उसे मैं नहीं जानता हूँ। 22 तारीख को झगड़ा होते देखा था। उसके बाद उभय पक्ष में झगड़ा होते नहीं देखा हूँ। गवाह संख्या–02 वृन्दावन पातर मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ। उभय पक्ष के बीच पानी निकासी को लेकर झगड़ा हुआ है। वर्त्तमान में उभय पक्ष के बीच जब झगड़ा का मुझे मालूम नहीं है। उभय पक्ष के बीच जब झगड़ा हो रहा था तब मैं दुकान गया था। उभय पक्ष में नाली को लेकर बोला–बोली हो रहा था। गवाह संख्या–03 आशा राम महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरा पानी का नाला दिनांक–22/03/17 को बंद किया है। झगड़ा भी किया था। मैं मना किया था। मना करने पर कहा कि हमलोग बंद करेंगे, जो करना है कीजिए। मारपीट नहीं हुआ। गाली–गलौज हुआ। नाला बंद हुआ उसका मापी हुआ, जिसमें मेरा जमीन निकला। द्वितीय पक्ष का कहना है कि मापी में 10 फुट जमीन घुस गया है, जो झूठा है। केस होने के बाद 5 सितम्बर को झगड़ा हुआ। उसके पहले और बाद में कोई झगड़ा नहीं हुआ। द्वितीय पक्ष गवाही:– माधव महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में अभी तक किसी तरह का झगड़ा–झंझट, मारपीट नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष अपने विवादित जमीन का मापी कराया था। इस मापी में मेरा ही	

कृ०पृ०उ०

जमीन उसके मकान तरफ 10 कड़ी घुस गया, जिसे प्रथम पक्ष छोड़ने से इंकार किया उसके बाद थाना आकर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। प्रथम पक्ष के साथ मेरा कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। दिनांक–15/01/17 से अभी तक प्रथम पक्ष से मेरा कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, पुलिस प्रतिवेदन व गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट होता है कि जमीन की मापी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक–दूसरे के ऊपर अधिक जमीन पर कब्जा कर लेने का आरोप लगा रहे है। जमीन की मापी का फैसला करने हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। उभय पक्ष विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन की मापी करा सकते है। इस वाद में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है और वाद की कार्रवाई के दौरान शांतिभंग होने के संभावना की पुष्टि भी नहीं हो पायी।

अतः वाद की कार्रवाई में बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापति एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

10/11/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।